रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 | No. D. (D)-72.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 487] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 26, 1981/कार्तिक 4, 1903

No. 487] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 26, 1981/KARTIKA 4, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 1981

का. आ. 776(अ).—पीपल्स लिबरेशन आर्मी (इस्टर्न रीजन) जिसे साधारणतया पी एल ए के नाम से जाना जाता है, पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी आफ कांग्लेईपाक (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रेपक कहा गया है) और उसकी ''रेड आर्मी'' तथा साथ ही प्रेपक की प्रशाखाओं जैसे कांग्लेईपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (के.सी.पी.) और उसकी सशस्त्र टुकड़ी, जिसे भी ''रेड आर्मी'' कहा जाता है (जिसे इसमें इसके पश्चात् मेईटेई एक्स्ट्रीमिस्ट आर्गेनाइजेशन कहा गया है) ने—

(1) स्वतंत्र मणिपुर, जिसमें मणिपुर राज्य समाविष्ट है, बनाए जाने के अपने उद्देश्य की स्पष्ट घोषणा की है और उक्त राज्य को भारत संघ से विलग करने के अपने उद्देश्य के अनुसरण में हिंसात्मक कार्रवाईयां प्रारंभ कर दी हैं ;

(2) अपने पूर्वोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने सशस्त्र सेनाएं अर्थात तथाकथित पीपल्स लिबरेशन आर्मी, रेड आर्मी तथा अन्य निकाय नियोजित किए हैं ;

(3) अपने पूर्वोक्त उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए सुरक्षा बलों के सैनिकों तथा सिविल सरकार और मणिपुर राज्य के नागरिकों पर आक्रमण करने में उक्त सशस्त्र सेनाओं का नियोजित कर रहे हैं और असैनिक जनसंख्या के तथा अपने संगठनों के लिए निधि के संग्रहण के लिए लूट तथा अभित्रास की कार्रवाईयां कर रहे हैं ,

(4) अपने पूर्वोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए शस्त्रों तथा प्रशिक्षण के रूप में सहायता प्राप्त करने के लिए विदेशों से फिर से संपर्क करने के लिए कतिपय प्रयास किए गए हैं ;

और केन्द्रीय सरकार की पूर्वोक्त कारणों से यह राय है कि मेईटेई एक्स्ट्रीमिस्ट आर्गेनाइजेशन और उनके द्वारा स्थापित अन्य निकाय, जिनके अन्तर्गत ऊपर नामित शस्त्र टुकड़ियां भी हैं, विधिविरुद्ध संगम हैं ;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि पूर्वोक्त मेईटेई एक्स्ट्रीमिस्ट आर्गेनाजेशन के द्वारा बारबार होने वाली हिंसात्मक कार्रवाईयों और पुलिस बल और असैनिक जनसंख्या पर आक्रमणों के कारण, यह आवश्यक है कि पूर्वोक्त मेईटेई एक्स्ट्रीमिस्ट आर्गेनाजेशनों और उनके द्वारा स्थापित अन्य निकायों को, जिनके अंतर्गत तथाकथित पीपल्स लिबरेशन आर्मी और रेड आर्मी भी है, तात्कालिक प्रभाव से विधिविरुद्ध संगम घोषित कर दिया जाए ;

अत केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी (ईस्टर्न रीजन), कांग्लेईपाक की पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी और उसकी रेड आर्मी और साथ ही प्रेपक की प्रशाखाओं

जैसे कि कांग्लेईपाक कम्यूनिस्ट पार्टी और उसकी सशस्त्र टुकड़ी, जिसे रेड आर्मी कहा गया है तथा उनके द्वारा स्थापित अन्य निकायों को विधि विरुद्ध संगम घोषित करती है और उस धारा की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि यह अधिसूचना उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किए जा सकने वाले किसी आदेश के अधीन रहते हुए, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी ।

[फा. सं. 11/12/81-एन.-1]
आई. पी. गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 1981

S.O. 776(E).—Whereas the People's Liberation Army (Eastern Region) generally known as the PLA, the People's Revolutionary Party of Kangleipak (hereinafter referred to as PREPEK) and its Red Army as also the offshoots of PREPAK like the Kangleipak Communist Party (K.C.P.) and its armed wing also called the 'Red Army' (hereinafter referred to as the Meitei Extremist Organisations):—

(i) have openly declared as their objective the formation of an independent Manipur comprising the State of Manipur and have resorted to violent activities in pursuance of their objective to bring about session of the said State from the Union of India;

(ii) have been employing armed forces, namely, the so-called People's Liberation Army, the Red Army and the other bodies set up by them, to achieve their aforesaid objective;

(iii) have, in furtherance of their aforesaid objective, been employing the said armed forces in attacking the Security Forces and the Civil Government and the citizens in the State of Manipur, and indulging in acts of looting and intimidation against the civilian population and collection of funds for their organisations;

(iv) have, to achieve their aforesaid objective, made some efforts to resume their contacts with foreign countries for securing assistance by way of arms and training;

And whereas the Central Government is of the opinion that for the reasons aforesaid, the Meitei Extremist Organisations and other bodies set up by them, including the armed groups named above, are unlawful associations;

And whereas the Central Government is further of the opinion that because of the repeated acts of violence and attacks by armed groups of the aforesaid Meitei Extremist Organisations on the police forces and on the civilian population, it is necessary to declare the Meitei Extremist Organisations and the other bodies set up by them, including the so-called People's Liberation Army and the Red Army, to be unlawful with immediate effect;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the People's Liberation Army (Eastern Region), People's Revolutionary Party of Kangleipak, and its Red Army, as also the offshoots of PREPAK like the Kangleipak Communist Party and its armed wing also called the Red Army and other bodies set up by them to be unlawful associations and directs, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of that section, that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[E. N. 11/12/81—NE.I]
I. P. GUPTA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981